



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-26.12.2025

**विषय:- थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा 03 नफर गौ-तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 08 राशि जिन्दा गोवंश, 02 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप वाहन में कुछ गोवंशों को अवैध रूप से लादकर वध करने हेतु ले जाने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 25.12.2025 को समय करीब 18.15 बजे 03 नफर अभियुक्तगण 01. धर्मराज यादव उर्फ प्रमोद यादव पुत्र शिव बहादुर यादव निवासी ग्राम लाक्षाग्रह थाना हंडिया जनपद प्रयागराज 02. आनंद तिवारी पुत्र रामपूजन तिवारी निवासी ग्राम लाक्षाग्रह थाना हंडिया जनपद प्रयागराज 03. महिप मिश्रा पुत्र स्व0 रमाकांत मिश्रा निवासी ग्राम राजगढ़ थाना नगर कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ को रिंग रोड संदहा से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से कुल 08 राशि जिन्दा गोवंश 02 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा 793/2025 धारा 325, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0, 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- धर्मराज यादव उर्फ प्रमोद यादव पुत्र शिव बहादुर यादव निवासी ग्राम लाक्षाग्रह थाना हंडिया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 21 वर्ष।
- आनंद तिवारी पुत्र रामपूजन तिवारी निवासी ग्राम लाक्षाग्रह थाना हंडिया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 28 वर्ष।
- महिप मिश्रा पुत्र स्व0 रमाकांत मिश्रा निवासी ग्राम राजगढ़ थाना नगर कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

### बरामदगी का विवरण-

कुल 08 राशि जिन्दा गोवंश (03 गाय व 05 साड़), 02 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त महिन्द्रा मैक्स गाड़ी रजिस्टरेशन नं 0 UP 70 MT 1285 बरामद।

### गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

रिंग रोड संदहा से, दिनांक 25.12.2025 को समय करीब 18.15 बजे।

## आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 793/2025 धारा 325, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी0एन0एस0, 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 विकास मौर्या थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अनुराग कुमार तिवारी थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 अपराजित सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 सुरेन्द्र यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 अखिलेश यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
6. हे0का0 रमाकान्त यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 अशोक यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का0 बीर बहादुर राम थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।



सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।